न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा जिला कोरबा छ0ग0

क्रमांक 1216 /अ0वि0अ0/वा0–1/2025 कोरबा दिनांक 03/06/2025

प्रति,

सुमंत सिंह पिता सुबेदार सिह(पॉवर ऑफ एटार्नी)
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको
तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0

विषयः– पारित आदेश दिनांक 02/05/2025 निरस्ती की सूचना।

––000–––

इस न्यायालय के रा0प्र0क0 202505050100009/अ–62/2024–25 में पक्षकार आवेदक सुमंत सिंह पिता सुबेदार सिंह(पॉवर ऑफ एटार्नी) भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको/पाढ़ीमार द्वारा ग्राम– पाढ़ीमार स्थित ख0नं0– 15000 शामिल ख0न0– 175, 178, 177, 182/2, 180/3, 180/1, 199/1, 198, 181, 182, 183, 184, 197/1, 158, 157, 156, 154/1, 197/4, 197/2, 193/3, 196, 197/3 कुल ख0नं0– 23 एवं अन्य खसरा है, जिसका रकबा 30.511 हे0 भूमि जो राजस्व अभिलेखों में बालको कंपनी के नाम पर दर्ज है। आंशिक ख0नं0– 143, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 197, 198 कुल ख0न0– 18 कुल रकबा 6.640 हे0 बालको की भूमि में बहुमंजिलीय ईमारत प्रस्तावित है। वर्तमान स्थिति में 108+ 46 वृक्ष विकास कार्य में बाधा बने हुए है। उक्त वृक्षों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने या कुछ वृक्ष को काटने की आवश्यकता है। उक्त काटे जाने वाले वृक्षें के बदले में खाली जगहों पर अधिक से अधिक पौधों(आम–25, शुबबूल–35, सेमल–18, कदम–4, पलास–28, गुलमोहर–22, नीलगिरी–8, बबूल–14) का रोपण कर इसकी पूर्ति की जायेगी। उक्त वृक्षों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने/काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कुल ख0नं0– 18 रकबा 6.610 हे0 की भूमि पर बहुमंजिला ईमारत A-1 ब्लॉक में 23 वृक्ष, A-2 ब्लॉक में 17 वृक्ष, A-3 ब्लॉक में 26 वृक्ष, B-1 ब्लॉक में 31 वृक्ष, B-2 ब्लॉक में 30 वृक्ष, B-3 ब्लॉक में 18 वृक्ष एवं B-4 ब्लॉक में 27 वृक्ष 7 ब्लॉक में 172 नग मिश्रित प्रजाति के बहुमंजिलीय इंमारत निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहा है, जिसे अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दिनांक 02/05/2025 को दी गई है।

प्रकरण में छ0ग0भू0रा0संहिता की धारा 51 आदेशों का पुनर्विलोकन–(1)मण्डल तथा प्रत्येक राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षाकर के आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का, जो स्वतः उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारियों में से किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे उल्लेखित है। इस प्रकार से प्रकरण स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन में लिया गया।

...2...

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

उक्त वृक्ष जिस स्थान पर स्थित है, वर्तमान में भी उसी स्थान पर स्थित है। किसी प्रकार की स्थानांतरित अथवा कटाई नहीं की गई है।

भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर का WP No/5328/96 में पारित आदेश दिनांक 06/02/2009 एवं रिट अपील क्रमांक 69/2009 में पारित आदेश दिनांक 25/02/2009 में रकबा 1751 एकड़ है। उपरोक्त दिये गये खसरों में से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा, जिला–कोरबा का पत्र क0/1818/कले0/वा0/2014 कोरबा, दिनांक 28/08/2014 की प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में खसरा नंबर 199/1 रकबा 0.030 हे0 भूमि में घांस और छोटे झाड़ के जंगल शामिल है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/05/2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0

पृ0 क्रमांक 1297/अ0वि0अ0/वा0–1/2025 कोरबा दिनांक 03/06/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महो0 कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार कोरबा को सूचनार्थ अग्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0